	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932–सितम्बर 15, 2010 *Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932–September 15, 2010*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (28) विधि/2/2010.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 19)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्ः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राज–पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 6 का संशोधन.–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के विद्यमान उप–खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

''(ii) नगरपालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले, नगर निगम के मामले में छह व्यक्ति, नगर परिषद् के मामले में पांच व्यक्ति और नगरपालिक बोर्ड के मामले

में चार व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेः''।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 48 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 48 की विद्यमान उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:–

''(1क) जहां नगरपालिका या इसकी समितियों में से किसी भी समिति का कोई भी संकल्प नगरपालिका के हितों के विरुद्ध हो या इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत हो तो वहां अध्यक्ष, ऐसे संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित करेगा और उस मामले को राज्य सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे संकल्प पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और उस नगरपालिका के लिए आबद्धकर होगा।''।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 238 का संशोधन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 238 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''238. वर्षा जल संग्रहण का उपबंध.–(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 19) के प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक के भू–खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगाः

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू–जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना उचित नहीं है तो वह, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) नगरपालिका धारा 194 के अधीन कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप–धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था नहीं करता और ऐसी प्रणाली स्थापित

करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप–धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप–धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टता वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल–संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप–धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टंकी

को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंतःस्रवण के लिए वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

5. धारा 238–क का अन्तःस्थापन.–मूल अधिनियम की यथापूर्वोक्त संशोधित धारा 238 के पश्चात्, और धारा 239 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"238–क. पार्किंग स्थान का उपबंध.–(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 19) के प्रारंभ के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये:

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) नगरपालिका, धारा 194 के अधीन कोई अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति, उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उप–धारा (1) के अधीन यथाविहित पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था नहीं कर देता और ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए नगरपालिका के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) धारा 194 या इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप–धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये

कि उप–धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में नगरपालिक क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल–संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप–धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।''।

कपिल भार्गव,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 15, 2010

No. F. 2 (28) Vidhi/2/2010.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 19) :–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2010

(Act No. 19 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 13th day of September, 2010]

An

Act

to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) six persons in case of Municipal Corporation, five persons in case of Municipal Council and four persons in case of Municipal Board, having special knowledge or experience in municipal administration,

to be nominated by the State Government by notification in the Official Gazette: ".

3. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-After the existing sub-section (1) of section 48 of the principal Act, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(1A) Where any resolution of a Municipality or of any of its committees is against the interest of the Municipality or inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Chairperson shall record his opinion on such resolution and refer the matter to the State Government for its decision and the decision of the State Government on such resolution shall be final and binding on the Municipality.".

4. Amendment of section 238, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 238 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**238. Provision of rain water harvesting.-**(1) In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 19 of 2010), it shall be compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to

install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

Explanation.- For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus or both, including roof top structure and under ground tank,

constructed or installed to collect rain water either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

5. Insertion of section 238-A.-After section 238, amended as aforesaid, and before section 239 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"238-A. Provision of parking space.- (1) In every building constructed in a municipal area after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2010 (Act No. 19 of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Municipality shall not grant any permission under section 194 unless the person seeking permission makes provision for parking space as prescribed under sub-section (1) in the maps required under that section and undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in section 194 or any other provision of this Act, every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in a municipal area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.”.

कपिल भार्गव,

Principal Secretary to the Government.

10

Government Central Press, Jaipur.